

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-25062020-220151
SG-DL-E-25062020-220151

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 118]	दिल्ली, बुधवार, जून 24, 2020/आषाढ़ 3, 1942	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 53
No. 118]	DELHI, WEDNESDAY, JUNE 24, 2020/ASHADHA 3, 1942	[N.C.T.D. No. 53

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

दिल्ली, 24 जून, 2020

अधिसूचना

संख्या 33/2019-राज्य कर

सं. फा. 3(12)/वित्त (राजस्व-1)/2020-21/डी.एस. IV/7.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवा कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2019 है ।

(2) इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है, के सिवाय, ये 18 जुलाई, 2019 को प्रवृत्त होंगे ।

2. दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिन्हें इसमें इससे पश्चात, उक्त नियम कहा गया है) के नियम 12 के उपनियम (1क) में,—

(क) "को रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति" शब्दों के पश्चात्, "कटौती करने के लिए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति या" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) "के उपबंधों के अनुसार" शब्दों के पश्चात्, "यथास्थिति, धारा 51 के उपबंधों के अनुसार या" शब्द और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

3. उक्त नियम के नियम 46 के चौथे परंतुक में, 1 सितम्बर, 2019 से, "परंतु यह भी कि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति" शब्दों के पश्चात् "बहुविध स्क्रीन में सिनेमा फिल्मों के प्रदर्शन में प्रवेश के माध्यम से सेवाओं की पूर्ति करने में लगे हुए पूर्तिकार से भिन्न" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

4. उक्त नियम के नियम 54 में, उपनियम (4) के पश्चात् 1 सितम्बर, 2019 से निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(4क) बहुविध स्क्रीनों में सिनेमा फिल्मों के प्रदर्शन में प्रवेश के माध्यम से सेवाओं की पूर्ति करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह इलेक्ट्रॉनिक टिकट जारी करे और उक्त-इलेक्ट्रॉनिक टिकट अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए कर बीजक के रूप में समझी जाएगी, भले ही ऐसे टिकट में सेवा के प्राप्तिकर्ता के ब्यौर अन्तर्विष्ट क्यों न हो किन्तु इसमें नियम 46 के अधीन यथा उल्लिखित अन्य सूचना अन्तर्विष्ट हो:

परंतु बहुविध स्क्रीनों से भिन्न स्क्रीन में ऐसी सेवा का पूर्तिकार, अपने विकल्प पर उपरोक्त प्रक्रिया का पालन कर सकेगा।"

5. उक्त नियम के नियम 83क के पश्चात्, ऐसी तारीख से, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"83ख. माल और सेवा कर व्यवसायी के नामांकन का प्रस्तुतिकरण-

(1) माल और सेवा कर व्यवसायी, जो अपने नामांकन को प्रस्तुत करने की वांछा करता है, सामान्य पोर्टल पर या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से **प्ररूप जीएसटी पीसीटी-06** में आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करेगा।

(2) आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ऐसी जांच जो वह ठीक समझे करवाए जाने के पश्चात् और **प्ररूप जीएसटी पीसीटी-07** में आदेश द्वारा ऐसे व्यवसायी के नामांकन को रद्द कर सकेगा।"

6. उक्त नियम के नियम 137 में, "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "चार वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

7. उक्त नियम के नियम 138ड के पहले परंतुक में,-

(क) "परंतु आयुक्त" शब्दों के पश्चात् **"प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूवी-05** में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से आवेदन की प्राप्ति पर" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(ख) "वे कारण, जो आदेश द्वारा लेखबद्ध किए जाएं" शब्दों के स्थान पर, "वे कारण, जो आदेश द्वारा **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूवी-06** में लेखबद्ध किए जाएं" शब्द, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे।

8. उक्त नियमों में **प्ररूप जीएसटी पीसीटी-05** के पश्चात् ऐसी तारीख से, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"प्ररूप जीएसटी पीसीटी-06 [नियम 83ख देखिए]	
माल और सेवा कर व्यवसायी के रूप में नामांकन के रद्दकरण के लिए आवेदन	
1. जीएसटीपी नामांकन सं.	
2. जीएसटी व्यवसायी का नाम	<ऑटो पॉपुलेटेड>
3. पता	<ऑटो पॉपुलेटेड>
4. नामांकन के रद्दकरण के प्रभाव की तारीख	
मैं, नीचे उल्लिखित कारण (कारणों) से जीएसटी व्यवसायी के रूप में नामांकन के रद्दकरण के लिए अनुरोध करता हूँ। 1. 2. 3. उपरोक्त घोषणा मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। मैं यह वचनबंध करता हूँ कि मैं ऐसे रद्दकरण से पहले जीएसटी व्यवसायी के रूप में अपने कार्यों के लिए दायी बना रहूंगा। (हस्ताक्षर) स्थान : तारीख :	

“प्ररूप जीएसटी पीसीटी-07

[नियम 83ख देखिए]

माल और सेवा कर व्यवसायी के रूप में नामांकन के रद्दकरण का आदेश

1. जीएसटीपी नामांकन सं.	
2. जीएसटी व्यवसायी का नाम	<ऑटो पॉपुलेटेड>
3. पता	<ऑटो पॉपुलेटेड>
4. आवेदन की तारीख और सं.	
5. नामांकन के रद्दकरण के प्रभाव की तारीख	

घोषणा

यह सूचना दी जाती है कि जीएसटी व्यवसायी के रूप में आपका नामांकन से रद्द किया जाता है।
(हस्ताक्षर)

स्थान :
तारीख :

9. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 के उपाबंध-1 में, विवरण 5ख के स्थान पर, निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा, अर्थात्:-

“विवरण 5ख [नियम 89(2)(छ)]

प्रतिदाय का प्रकार : मानित निर्यातों के मददे

(रकम रुपए में)

क्र.सं.	यदि प्रतिदाय का पूर्तिकार द्वारा दावा किया जाता है तो जावक पूर्तियों के बीजकों/जमापत्रों/नामेनोटों के ब्यौरे/यदि प्रतिदाय का दावा प्राप्तिकर्ता द्वारा किया जाता है तो आवक पूर्तियों के बीजकों के ब्यौरे					संदत्त कर			
	पूर्तिकार का जीएसटीआईएन	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	बीजक/जमा पत्र/नामे नोट का प्रकार	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									”.

10. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01क के उपाबंध-1 में, विवरण 5ख के स्थान पर निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा अर्थात्:-

“विवरण 5ख [नियम 89(2)(छ)]

प्रतिदाय का प्रकार : मानित निर्यातों के मददे

(रकम रुपए में)

क्र. सं.	यदि प्रतिदाय का पूर्तिकार द्वारा दावा किया जाता है तो जावक पूर्तियों के बीजकों/जमापत्रों/नामेनोटों के ब्यौरे/यदि प्रतिदाय का दावा प्राप्तिकर्ता द्वारा किया जाता है तो आवक पूर्तियों के बीजकों के ब्यौरे					संदत्त कर			
	पूर्तिकार का जीएसटीआईएन	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	बीजक/जमा पत्र/नामे नोट का प्रकार	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									”.

11. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी इडब्ल्यूबी-04 के पश्चात, निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“प्ररूप जीएसटी इडब्ल्यूबी-05

[नियम 138ड देखें]

ई-वे बिल के सृजन के लिए सुविधा को अनिरुद्ध करने की अवधि

1	जीएसटीआईएन	<ऑटो पॉपुलेटेड>
2	विधिक नाम	<ऑटो पॉपुलेटेड>
3	व्यापार का नाम	<ऑटो पॉपुलेटेड>
4	पता	<ऑटो पॉपुलेटेड>

“प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-05
[नियम 138ड देखें]

ई-वे बिल को सृजित करने की सुविधा को अनिरुद्ध करने के लिए आवेदन

1	जीएसटीआईएन	<स्वतः>
2	विधिक नाम	< स्वतः>
3	व्यापार का नाम	< स्वतः>
4	पता	< स्वतः>

5	प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग का 'क' में सूचना देने की सुविधा (अर्थात् ई-वे बिल को सृजित करने की सुविधा) तारीख अनिरुद्ध की जाती है।	<स्वतः>
6	ई-वे बिल को सृजित करने की सुविधा को अनिरुद्ध करने के कारण	<उपयोक्ता इनपुट>
(i)		
(ii)		
(iii)		
7	व्यतिक्रम के अधीन अवधि के लिए विवरणी फाइल करने की प्रत्याशा तारीख	<उपयोक्ता इनपुट>

8. सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता/करती हूँ और यह घोषणा करता/करती हूँ कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
नाम
नाम/पदनाम/प्रास्थिति

तारीख:

स्थान:

“प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-06
[नियम 138ड देखें]

संदर्भ सं०:

तारीख

सेवा में

----- जीएसटीआईएन

----- नाम

----- पता

ई-वे बिल सृजित करने की सुविधा को अनिरुद्ध करने हेतु आवेदन मंजूर/नामंजूर करने का आदेश

एआरएन आवेदन:

तारीख:

केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138ड के निबंधनानुसार तारीख से ऊपर उल्लिखित राजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में ई-वे बिल सृजित करने की सुविधा निरुद्ध की गई थी।

मैंने मामले के तथ्यों और ऊपर उल्लिखित राजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन/अनुरोधों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है। मैं आवेदन स्वीकार करता हूँ और निम्नलिखित आधारों पर ई-वे बिल को सृजित करने की सुविधा को अनिरुद्ध करने का आदेश करता हूँ :

- 1.
- 2.

कृपया नोट करें कि सिस्टम में (तारीख) के प'चात् ई-वे बिल सृजित करने की सुविधा अवरुद्ध कर दी जाएगी यदि राजिस्ट्रीकृत व्यक्ति केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138ड के निबंधनों में व्यतिक्रमी बना रहता है।

या

मैंने मामले के तथ्यों और ऊपर उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन/अनुरोधों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है। मैं निम्नलिखित आधारों पर ई-वे बिल को सृजित करने की सुविधा को अनिरुद्ध करने का आवेदन नामंजूर करता हूँ।

1.

2.

हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम:

अधिकारिता:

पता:

टिप्पण: विस्तृत आदेश/कारण (कारणों) के लिए पृथक दस्तावेज संलग्न किए जाएँ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

सुनील सहगल, उप सचिव-IV (वित्त)

टिप्पण:—मूल नियम दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV में सं.फा. 3 (10)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/342 दिनांक 22 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सं. फा. 3 (8)/वित्त (राजस्व-I)/2020-21/डी.एस. VI/171, दिनांक 05/06/2020, द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 31/2019-राज्य कर, दिनांक 05/06/2020 अंतिम संशोधन किया गया।

FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT

DELHI, the 24th June, 2020

NOTIFICATION

No. 33/2019 – State Tax

No. F. 3(12)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS-IV/7.—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules further to amend the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Delhi Goods and Services Tax (Fifth Amendment) Rules, 2019.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force from 18th July, 2019.

2. In the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 12, in sub-rule (1A),-

(a) after the words “A person applying for registration to”, the words “deduct or” shall be inserted;

(b) after the words “in accordance with the provisions of”, the words and figures “section 51, or, as the case may be,” shall be inserted.

3. In the said rules, in rule 46, in the fourth proviso, with effect from the 1st day of September, 2019, after the words “Provided also that a registered person”, the words “, other than the supplier engaged in making supply of services by way of admission to exhibition of cinematograph films in multiplex screens,” shall be inserted.

4. In the said rules, in rule 54, after sub-rule (4), with effect from the 1st day of September, 2019, the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(4A) A registered person supplying services by way of admission to exhibition of cinematograph films in multiplex screens shall be required to issue an electronic ticket and the said electronic ticket shall be deemed to be a tax invoice for all purposes of the Act, even if such ticket does not contain the details of the recipient of service but contains the other information as mentioned under rule 46:

Provided that the supplier of such service in a screen other than multiplex screens may, at his option, follow the above procedure.”.

5. In the said rules, after rule 83A, with effect from such date as may be notified by the State Government, the following rule shall be inserted, namely:-

“83B. Surrender of enrolment of goods and services tax practitioner.-

- (1) A goods and services tax practitioner seeking to surrender his enrolment shall electronically submit an application in **FORM GST PCT-06**, at the common portal, either directly or through a facilitation centre notified by the Commissioner.
- (2) The Commissioner, or an officer authorized by him, may after causing such enquiry as deemed fit and by order in **FORM GST PCT-07**, cancel the enrolment of such practitioner.”.

6. In the said rules, in rule 137, for the words “two years”, the words “four years” shall be substituted.

7. In the said rules, in rule 138E, in the first proviso,-

- (a) after the words “Provided that the Commissioner may,” , the words, letters and figures “on receipt of an application from a registered person in **FORM GST EWB-05**,” shall be inserted;
- (b) after the words “reasons to be recorded in writing, by order”, the words, letters and figures “in **FORM GST EWB-06**” shall be inserted.

8. In the said rules, after **FORM GST PCT -05**, with effect from such date as may be notified by the State Government, the following forms shall be inserted, namely:-

“FORM GST PCT-06 [See rule 83B]	
APPLICATION FOR CANCELLATION OF ENROLMENT AS GOODS AND SERVICES TAX PRACTITIONER	
1. GSTP Enrolment No.	
2. Name of the GST Practitioner	<Auto Populated>
3. Address	< Auto Populated>
4. Date of effect of cancellation of enrolment	
I hereby request for cancellation of enrolment as GST Practitioner for the reason(s) noted below: 1. 2. 3. DECLARATION The above declaration is true and correct to the best of my knowledge and belief. I undertake that I shall continue to be liable for my actions as GST Practitioner before such cancellation. (SIGNATURE) Place: Date:	

FORM GST PCT-07 [See rule 83B]	
ORDER OF CANCELLATION OF ENROLMENT AS GOODS AND SERVICES TAX PRACTITIONER	
1. GSTP Enrolment No.	
2. Name of the GST Practitioner	< Auto Populated>
3. Address	<Auto Populated>
4. No. and Date of application	
5. Date of effect of cancellation of enrolment	
DECLARATION This is to inform you that your enrolment as GST Practitioner is hereby cancelled with effect from (SIGNATURE) Place: Date: ”.	

9. In the said rules, in **FORM GST RFD-01**, in Annexure 1, for **Statement 5B**, the following Statement shall be substituted, namely:-

“Statement 5B [rule 89(2)(g)]

Refund Type: On account of deemed exports

(Amount in Rs.)

Sl. No.	Details of invoices/credit notes/debit notes of outward supplies in case refund is claimed by supplier/Details of invoices of inward supplies in case refund is claimed by recipient					Tax paid			
	GSTIN of the supplier	No.	Date	Taxable Value	Type (Invoice/ Credit Note/ Debit Note)	Integrated Tax	Central Tax	State Tax /Union territory Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									”.

10. In the said rules, in **FORM GST RFD-01A**, in Annexure 1, for **Statement 5B**, the following Statement shall be substituted, namely:-

“Statement 5B [rule 89(2)(g)]

Refund Type: On account of deemed exports

(Amount in Rs.)

Sl. No.	Details of invoices/credit notes/debit notes of outward supplies in case refund is claimed by supplier/Details of invoices of inward supplies in case refund is claimed by recipient					Tax paid			
	GSTIN of the supplier	No.	Date	Taxable Value	Type (Invoice/ Credit Note/ Debit Note)	Integrated Tax	Central Tax	State Tax /Union territory Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									”.

11. In the said rules, after **FORM GST EWB-04**, the following forms shall be inserted, namely:-

“FORM GST EWB-05		
[See rule 138 E]		
Application for unblocking of the facility for generation of E-Way Bill		
1	GSTIN	<Auto>
2	Legal Name	<Auto>
3	Trade Name	<Auto>
4	Address	<Auto>

5	Facility of furnishing of information in Part A of FORM GST EWB 01 (i.e. facility for generation of E-Way Bill) blocked w.e.f.	<Auto>
6	Reasons of unblocking of facility for generation of E- Way Bill	<User input>
(i)		
(ii)		
(iii)		
7	Expected date for filing of returns for the period under default	<User input>

8. Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature of Authorised Signatory

Name

Designation /Status

Date:

Place:

FORM GST EWB – 06

[See rule 138 E]

Reference No.:

Date:

To

_____ GSTIN

----- Name

_____ Address

Order for permitting / rejecting application for unblocking of the facility for generation of E-Way Bill

Application ARN:

Date:

The facility for generation of E- Way Bill was blocked in respect of the aforementioned registered person w.e.f. -----
- in terms of rule 138E of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017.

I have carefully considered the facts of the case and the application / submissions made by the aforementioned registered person.

I hereby accept the application and order for unblocking of the facility for generation of E-Way Bill on the following grounds:

- 1.
- 2.

Please note that the system will block the facility for generation of E-Way Bill after _____(date) if the registered person continues to be defaulter in terms of rule 138E of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017.

OR

I have carefully considered the facts of the case and the application / submissions made by the aforementioned registered person.

I hereby reject the application for unblocking the facility for generation of E-Way Bill on following grounds:

- 1.
- 2.

Signature:

Name:

Designation:

Jurisdiction:

Address:

Note: Separate document may be attached for detailed order / reason(s).”.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

SUNIL SEHGAL, Dy. Secy. IV (Finance)

Note: The principal rules were published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV *vide* notification dated 22nd June, 2017, published *vide* number No. F.3(10)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/342, dated 22nd June, 2017 and last amended *vide* notification No. 31/2019 - State Tax, dated 5th June, 2020 published *vide* number F.3(8)/Fin.(Rev-I)/2020-21/DS-VI/171 dated 5th June, 2020.